न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1, पीलीभीत ।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–322 / 2026

अपराध संख्या–51 / 2026

मुन्ना उर्फ नईम पुत्र सलीम कुरैशी निवासी ग्राम रसियाखानपुर थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

धारा–5 / 8 गौवध निवारण अधिनियम
थाना–पूरनपुर, जिला पीलीभीत।

दिनांकः 09.03.2026

अभियुक्त मुन्ना उर्फ नईम पुत्र सलीम कुरैशी निवासी ग्राम रसियाखानपुर थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत उपरोक्त की ओर से अपराध संख्या–51 / 2026 अन्तर्गत धारा 5 / 8 गौवध निवारण अधिनियम थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ठाकुर शिवम भदौरिया की ओर से एक प्राथमिकी थाना पूरनपुर पर इस आशय की किता कराई गई कि कल शाम सात बजे विशेष सूत्रो से जानकारी हुई कि पिपरिया दुलई से सुआबोझ जाने वाले रास्ते पर खेत के किनारे एक गौवंश का वध करके कसाईयो ने उनके अवशेष कहीं पर फेंक दिए। मैं व मेरी टीम मौके पर पहुंची तो देख कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक गौवंशीय पशु का वध कर सिर व खाल वहीं पर छोड़ दिए है व मांस अपने साथ ले गई है। अतः महोदय से निवेदन है कि अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध कठोर कानूनी कारवाई करने की कृपा करें।

3. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक / अभियुक्त को प्रस्तुत मामले मे झूठा फंसाया गया है। उसके विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोप झूठे व मनगढ़न्त है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात मे दर्ज कराई गई है। आवेदक / अभियुक्त न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद है न ही घटनास्थल पर गिरफ्तार हुआ है और न ही उससे किसी प्रकार का मांस बरामद हुआ है। उपरोक्त वाद में मात्र अवशेष बरामद होना दर्शाया गया है। किसी भी प्रकार का मांस व वध करने के उपकरण घटनास्थल पर बरामद होना नही दर्शाया गया है। प्रस्तुत मामलें में आवेदक / अभियुक्त को सह अभियुक्त अकरम व कामिल उर्फ मुरादी द्वारा पुलिस अभिरक्षा में की गयी स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य मे ग्राह्य नही है। इसके अतिरिक्त आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध अन्य कोई साक्ष्य नही है। प्रस्तुत मामले मे विधिविज्ञान प्रयोगशाला की कोई स्पष्ट रिपोर्ट मौजूद नही है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नही है। आवेदक / अभियुक्त एक सम्भ्रांत भारतीय नागरिक है एवं वादी मुकदमा द्वारा मात्र आवेदक की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से आवेदक को उपरोक्त वाद मे फर्जी रूप से संलिप्त किया गया है।अतः उसको उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अभियोजन द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा मिलकर गौवंशीय पशुओ का वध कर उनके मांस का विक्रय किया जाता है। अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने योग्य है।

5. मैनें अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वह अज्ञात मे दर्ज है। अभियुक्त का नाम सह अभियुक्तगण द्वारा पुलिस अभिरक्षा मे की गयी स्वीकृति के आधार पर प्रकाश मे आया है। अभियुक्त से कोई बरामदगी नही हुई है। अतः उक्त परिस्थितियो मे मामले के गुणदोष पर कोई विचार किए बिना अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या–51/2026 अंतर्गत धारा–3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत में अभियुक्त मुन्ना उर्फ नईम पुत्र सलीम कुरैशी निवासी ग्राम रसियाखानपुर थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की दशा मे अथवा समर्पण करने पर सम्बंधित प्राधिकारी की संतुष्टि पर निजी मुचलके व जमानत दार दाखिल करने पर उसको जमानत पर रिहा किया जाये।

(विजय कुमार डुंगराकोटी)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं. 1
पीलीभीत।
जे.ओ.कोड यू.पी.6156